

दिनांक 22/01/18 को पेश होवे।  
आज्ञा से

रीडर

उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव

22/01/2018

पञ्चावली पेश हुई। वादीगण मग्न अधिवक्ता  
अनुपस्थित। प्रतिवादीगण भी मग्न अधिवक्ता  
अनुपस्थित। वादीगण को बार-बार आवाजे  
लगावाई गई, लेकिन न तो वादीगण उपस्थित  
हुंसे तथा न ही उनके अधिवक्ता। वादीगण तथा  
उनके अधिवक्ता गत तारीख पेशी दिनांक 4.12.17  
को भी अनुपस्थित थे। अतः वादीगण तथा उनके  
अधिवक्ता के अनुपस्थित होने से वादीगण का  
वाद अदम बजरी व अदम परकी में खारिज  
किया जाता है।

पञ्चावली फसल शुमार होकर  
वाद पूर्व प्रविष्टि नम्बर से कम की जाकर  
दाखिल इफतर हो।

रजदामक कुलकर्णी एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
ऋषभदेव